स्मार्ट किट प्रयोगकर्ता मार्गदर्शिका आपका स्वागत करती है

इस प्रयोगकर्ता मार्गदर्शिका को बनाने का उद्देश्य यह है कि प्रयोगकर्ताओं को स्मार्ट किट के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाए और वे यह भी समझ जाएं कि स्मार्ट किट में दी गई जानकारी का प्रयोग बेहतर तरीके से कैसे करें। इस बात की गंभीरता से संस्तुति की जाती है कि स्मार्ट किट के प्रयोगकर्ताओं को इस प्रयोगकर्ता मार्गदर्शिका को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए ताकि वे स्मार्ट किट का बेहतरीन उपयोग कर सकें।

स्मार्ट किट में सात प्रशिक्षण मॉड्यूल हैं और प्रत्येक मॉड्यूल के सहायक पावर पॉइंट प्रेजेन्टेशन हैं जो बाल संरक्षण के प्रशिक्षण में कार्य–सहायक (Job Aid) के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सभी मॉड्यूलों में, बाल संरक्षण के लिए कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों की मुख्य भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। सभी सामग्री गुजराती में हैं। इसके अलावा सूचना, शिक्षा तथा संचार एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए भी कुछ उपकरण जैसे– बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर पोस्टर और लीफलेट आदि भी हैं।

यह स्मार्ट किट कैसे है?

इस किट को स्मार्ट किट का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें इस बात की सुविधा है कि प्रशिक्षण इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित (Custmise) कर सकते हैं जो बाल संरक्षण पर विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण का हिस्सा बन सकता है या विभिन्न मंचों पर प्रस्तुतीकरण तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट किट इस बात का अवसर देता है कि अपनी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार आप सातों मॉड्यूलों में से विषय–वस्तु का चयन करें और इस्तेमाल करें। प्रशिक्षक सातों पावर पॉइंट प्रेजेन्टेशन से भी स्लाइडों का चयन कर अपनी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुतीकरण तैयार कर सकते हैं।

असरदार तरीके से स्मार्ट किट का इस्तेमाल करें

स्मार्ट किट को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षकों को यह सुझाव है कि वे जिस प्रशिक्षण का सुगमीकरण करने वाले हैं, उसकी सत्र योजना पहले तैयार कर लें। प्रशिक्षण के दिनों की संख्या और प्रतिभागियों की प्रोफाईल के आधार पर प्रशिक्षक यह निर्णय लेने में कामयाब होगा कि कौन सा मॉड्यूल और मॉड्यूल के किस सत्र का संदर्भन करने की आवश्यकता है। नीचे प्रत्येक मॉड्यूलों तथा बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने वाले सूचना, शिक्षा तथा संचार सामग्री का संक्षिप्त परिचय दिया गया है:

मॉड्यूल 1: बच्चों के अधिकारों और संरक्षण कानूनों से परिचय

'बच्चों के अधिकारों और संरक्षण कानूनों से परिचय' एक परिचयात्मक मॉड्यूल है, जिसमें विभिन्न बाल अधिकारों की अवधारणा, सिद्धान्तों, कानूनी ढांचा और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से जुड़ी जानकारी दी गई है। यह भारत में बाल संरक्षण कानूनों पर भी प्रकाश डालता है और बच्चों की खुशहाली के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना के बारे में भी बात करता है। यह एक प्रारम्भिक मॉड्यूल है और समग्र रूप से बाल संरक्षण के लिए कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को आच्छादित करता है। मॉड्यूल में संवेदित करने वाली कुछ सहभागी गतिविधियां भी हैं।

सत्र 1, भाग 1.1: बाल अधिकार की अवधारणा और अलग बाल अधिकार की आवश्यकता

सत्र 1, भाग 1.2: बाल अधिकारः सिद्धान्त और कार्य पद्धति में बदलाव

सत्र 2: बाल संरक्षण

सत्र 3: बच्चों के संरक्षण के लिए कानूनी संरचना

भाग 3.1: अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

भाग 3.2: भारत में बाल संरक्षण के कानून

सत्र 4: बच्चों की खुशहाली

मॉड्यूल 2: जिला बाल संरक्षण इकाई

इस मॉड्यूल में जिला बाल संरक्षण इकाई तथा उसकी संरचना को आच्छादित किया गया है। यह हमें जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं की विशिष्ट भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों से अवगत कराता है और इस बात की भी जानकारी देता है कि कार्य के दौरान उन्हें कौन से मुख्य मुद्दों व चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सहभागी अभ्यासों के अतिरिक्त मॉड्यूल में कुछ केस स्टडीज़ भी हैं जो वास्तविक जीवन से जुड़ी हैं और यह सिखाती हैं कि किसी विशेष स्थिति में बाल अधिकार के उल्लंघन का सामना कैसे किया जाए।

भाग 1: जिला बाल संरक्षण इकाई तथा इसकी संरचना से परिचय

भाग 2: जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों/कार्यकर्ताओं की विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

भाग 3: मुद्दे और चुनौतियां

अभ्यासः केस स्टडीज़ के माध्यम से सत्र की सीखों को समूह में दोहराना

मॉड्यूल 3: विशेष किशोर पुलिस इकाई

इस मॉड्यूल में विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना तथा कार्यों को आच्छादित किया गया है और इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि पुलिस पदाधिकारी जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ कार्य करते हैं उनकी भूमिका व उत्तरदायित्व क्या हैं। तकनीकी जानकारी को सरलता से समझने के लिए मॉड्यूल में केस स्टडीज़ तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी शामिल किया गया है।

भाग 1: विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना और कार्य

भाग 2: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संबंध में पुलिस की भूमिका

भाग 3: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्य पद्धति

भाग 4: विशेष किशोर पुलिस इकाई के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

इस मॉड्यूल में किशोर न्याय बोर्ड की रूपरेखा और संरक्षण को आच्छादित किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में क्या कार्य पद्धति है, इसका भी विस्तृत विवरण इसमें दिया गया है।

भाग 1: रूपरेखा और संरचना

भाग 2: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्य पद्धति

मॉड्यूल 5: बाल कल्याण समिति

बाल कल्याण समिति से संबंधित मॉड्यूल में इस बात की चर्चा की गई है कि समिति की संरचना और रूपरेखा कैसी है तथा देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संबंध में समिति की क्या कार्य पद्धति है। तकनीकी जानकारी को सरलता से समझने के लिए इस मॉड्यूल में केस स्टडीज़ भी शामिल की गई हैं।

भाग 1: संरचना एवं रूपरेखा (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 सेक्शन–27)

भाग 2: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों से संबंधित कार्य पद्धति

मॉड्यूल 6: किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल देखरेख संस्थान

इस मॉड्यूल में ऐसे सभी संस्थानों को आच्छादित किया गया है जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को देखरेख और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के बच्चों के देखरेख संस्थानों की विभिन्न कार्य पद्धतियों पर, इस मॉड्यूल में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यह मॉड्यूल इस बात की भी चर्चा करता है कि गैर संस्थागत देखरेख क्यों महत्वपूर्ण है और बच्चों से संस्थागत देखरेख अन्तिम विकल्प के रूप में क्यों होना चाहिए।

भाग 1: किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों की परिभाषा, संरचना और कार्य

भाग 2: बच्चों की देखरेख के विभिन्न संस्थानों की कार्य प्रणाली

भाग 3: संस्थागत देखरेख अन्तिम विकल्प क्यों

मॉड्यूल 7: सुगमकर्ता मार्गदर्शिका - बाल संरक्षण

यह मॉड्यूल सुगमीकरण कौशल के विभिन्न पक्षों को आच्छादित करता है और यह कराता है कि वातावरण को प्रतिभागियों के लिए सकारात्मक बनाकर हम किस तरह प्रशिक्षण को सहभागी एवं असरदार बना सकते हैं। इस मॉड्यूल के एक भाग के रूप में वयस्कों के सीखने के सिद्धान्तों तथा सीखने के तीनों तरीकों पर भी व्यापक चर्चा की गई है। इससे सुगमकर्ता को अपने प्रतिभागियों को बेहतर तरीके से समझने में और

प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। बोध पर शामिल सत्र सुगमकर्ता को यह समझने में मदद देगा कि निष्पक्ष रहकर प्रतिभागियों के विभिन्न विचारों को सम्मान देना कितना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मॉड्यूल में प्रभावी संचार के कौशल पर भी एक सत्र शामिल किया गया है। सभी सत्र सहभागी और व्यस्त रखने वाले हैं।

भाग 1: सकारात्मक शैक्षिक वातावरण बनाना

- वयस्कों के सीखने के सिद्धान्त और शिक्षण शैलियां
- बोध

भाग 2: संचार को समझना

- प्रभावी संचार के कौशल
- प्रभावी संचार में आने वाली बाधाएं

भाग 3: देखरेख और सुरक्षा के जरूरतमंद तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए परामर्श

- परामर्श से परिचय
- परामर्श के बुनियादी नियम
- परामर्श के कौशल तथा तरीके

भाग 4: एक अच्छे संचारकर्ता के गुण

भाग 5: टीम वर्क पर समझ

पावर पॉइंट प्रेजेन्टेशन

स्मार्ट किट में 7 सेट पावर पॉइंट प्रेजेन्टेशन हैं जो संबंधित सत्र संचालित करते समय कार्य सहायक (Job Aid) के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किसी भी सत्र को तैयार करते समय, सुगमकर्ता को पूरे सत्र को विस्तार से पढ़ना चाहिए और तब इस्तेमाल से पहले समान पावर पॉइंट प्रेजेन्टेशन का मिलान कर लें। पी.पी.टी. का इस्तेमाल केवल कार्य सहायक के रूप में किया जाना चाहिए, न कि मॉड्यूल के स्थान पर।

पोस्टर और लीफलेट

स्मार्ट किट में, बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों, जिनमें बाल विवाह, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, बाल श्रम, गुम हुए बच्चे और गैर संस्थागत देखरेख भी शामिल हैं, पर 11 पोस्टर और 6 लीफलेट हैं। इनकी छपाई हो सकती है और जहां भी आवश्यक हो, इनका इस्तेमाल कार्य सहायक के रूप में किया जा सकता है।

स्मार्ट किट के बारे में

समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत प्रशिक्षकों के लिए स्मार्ट किट का शुभारंभ

समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के अन्तर्गत करता आ रहा है और यह सुनिश्चित करता है कि जो बच्चे सामाजिक सुरक्षा के ताने–बाने से बाहर हो गए हैं उन्हें अच्छी से अच्छी देखरेख तथा पुनर्वास सेवाएं दी जाएं– खासतौर से बच्चों की दो प्रकार की श्रेणियों को जिन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के रूप में परिभाषित किया है।

आई.सी.ओ. (ICO) और फील्ड ऑफिसरों के स्तर पर भी यूनिसेफ केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत गठित संरचनाओं और समेकित बाल संरक्षण योजना लक्ष्य है राज्य स्तर के साथ–साथ जिले स्तर पर अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन को सशक्त बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है। इस साझे प्रयास का विस्तार अनेक हितधारकों जिसमें वैधानिक संस्थाएं (किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई, राज्य बाल संरक्षण समिति), पुलिस अधिकारी, राज्य और जिले स्तर के न्यायिक अधिकारी, विभिन्न सरकारी विभाग (एस.जे.ई.डी., गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य), समुदाय के सदस्य और दयनीय परिस्थितियों वाले बच्चे जो संस्थानों में हैं या बाहर हैं, सभी शामिल हैं।

समेकित बाल संरक्षण योजना द्वारा विभिन्न संस्थागत हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बाल संरक्षण के मुद्दों पर और कार्रवाई करने वाले व्यवस्था तंत्र के बारे में जागरूकता लाने का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही साथ लोगों की सोच में बदलाव लाने और छुपी हुई कुरीतियों जैसे बाल विवाह तथा बाल श्रम की रोकथाम के लिए व्यवहार परिवर्तन रणनीतियां भी तैयार की जाती हैं।

समेकित बाल संरक्षण योजना के स्मार्ट किट में ऐसी सामग्री शामिल है जिनका प्रयोग क्षमता विकास (प्रशिक्षण मॉड्यूल और पावर पॉइंट प्रजेन्टेशन्स) के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ सूचना, शिक्षा तथा संचार सामग्री (पोस्टर, ब्रोशर, श्रव्य–दृश्य सामग्री आदि) का प्रयोग बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है। इस स्मार्ट किट में निम्नलिखित सामग्री शामिल हैं:

- 7 क्षमता विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल और पी.पी.टी.
- 6 लीफलेट / ब्रोशर
- 11 पोस्टर
- श्रव्य–दृश्य सामग्री

स्मार्ट किट से प्रत्येक मॉड्यूल से आवश्यक सामग्री उठाने के चरणों सहित एक नमूना सत्र योजना उदाहरण के रूप में नीचे दिया गया है:

कार्य सूची का प्रारूप

समय	सत्र का विषय	विषय-वस्तु	प्रशिक्षण पद्धति
10:00 से 10:30	पंजीकरण		
10:30 से 11:00	उद्घाटन सत्र		
11:00 से 11:45	भारत में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण, संवैधानिक प्रावध ाान, बच्चों के लिए नीतियां और कार्यक्रम	◆ बच्चों को परिभाषित करना; भारत में चर्चा की स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास के अवसरों की स्थिति ◆ भारत में बच्चों से जुड़े मुख्य आंकड़े: जनगणना, एन.एच.एफ.एस.–III, सी.एस.ओ. आंकड़े, एस.आर.एस. एस्टिमेट्स, यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध जानकारी और आंकड़े ◆ बच्चों के लिए संवैधानिक प्रावधान ◆ बच्चों के लिए नीतियां	प्रस्तुतीकरण के साथ–साथ संवादात्मक सत्र
11:45 से 12:00		**चाय का अवकाश**	
12:00 से 1:30	बाल अधिकार और बच्चों के संरक्षण को समझना	◆ बच्चों के अधिकारों को समझना, अधिकार आधारित कार्य पद्धति में अन्तरण ◆ बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (VNCRC) का सिंहावलोकन, इसका भारतीय बाल संरक्षण कानूनों से संबन्ध और वर्तमान प्रासंगिकता ◆ बाल संरक्षण को समझना ◆ गुजरात में बाल सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे	प्रस्तुतीकरण के साथ–साथ सहभागी सत्र, सुगमकर्ता के अनुभव से केस स्टडी का प्रयोग और चर्चा
1:30 से 2:30		**भोजन के लिए अवकाश**	
2:30 से 4:00	किशेर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की मुख्य विशेषताएं	◆ अधिनियम के निर्देशक सिद्धान्त ◆ परिभाषित बच्चों की श्रेणियां, 'देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे' की परिभाषा ◆ किशोर न्याय अधिनियम द्वारा गठित संरचना, उनकी भूमिकाएं एवं आपसी संबंध ◆ बाल कल्याण समिति की भूमिका– देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संबंध में प्रावधानों की कार्य पद्धति पर केन्द्रित	प्रस्तुतीकरण तथा सुगमकर्ता के अनुभव पर आधारित केस स्टडी पर चर्चा

समय	सत्र का विषय	विषय-वस्तु	प्रशिक्षण पद्धति
4:00 से 4:15		**चाय के लिए अवकाश**	
4:15 से 5:30	बाल कल्याण समिति की भूमिका– कार्य संबंधी (परिचालक) दिशानिर्देश	विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान कैसे करें: ◆ गुम हुए बच्चे/देश प्रत्यावर्तन (महिला एवं बाल विकास के मानक परिचालन प्रोसीज़र के आधार पर) ◆ बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चे–(सी.एल.पी.आर.ए. से संबंध) ◆ सड़क पर निवास करने वाले बच्चे	सुगमकर्ता के अनुभव के अनुसार केस स्टडी पर चर्चा तथा प्रस्तुतीकरण
दिन-2			
10:30 से 11:45	बाल कल्याण समिति की भूमिका– परिचालन दिशानिर्देश	विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान कैसे करें: ◆ तस्करी से मुक्त कराए गए व्यक्ति ◆ पॉक्सो के शिकार व्यक्ति ◆ दत्तक–ग्रहण	प्रस्तुतीकरण तथा सुगमकर्ता के अनुभव से केस स्टडी और चर्चा
11:45 से 12:00		**चाय के लिए अवकाश**	
12:00 से 1:30	समूह कार्य–बाल कल्याण समिति के परिचालन दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन	◆ पिछले 3 सत्रों से प्राप्त ज्ञान का, प्रतिभागियों को शामिल करते हुए व्यवहारिक प्रयोग का अभ्यास	समूह गठन, प्रत्येक समूह को एक केस स्टडी दी जाएगी, समूह को आपस में चर्चा करने के बाद उस स्थिति में बाल कल्याण समिति की कार्य पद्धति प्रस्तुत करनी होगी।
1:30 से 2:30		**भोजन के लिए अवकाश**	
2:30 से 3:45	समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) और बाल न्याय संरचना	◆ किशोर न्याय अधिनियम और समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत स्थापित संस्थागत देखरेख संरचना ◆ गैर–संस्थागत देखरेख संरचना	प्रस्तुतीकरण के साथ सहभागी सत्र, सुगमकर्ता के अनुभव से केस स्टडी तथा चर्चा
3:45 से 4:00		**चाय के लिए अवकाश**	

समय	सत्र का विषय	विषय-वस्तु	प्रशिक्षण पद्धति
4:00 से 5:30	बाल कल्याण समिति की देखरेख में बच्चों का पुनर्वास	◆ व्यक्तिगत देखरेख योजना बनाना ◆ बच्चों के देखरेख संस्थानों का अनुश्रवण– किशोर न्याय अधिनियम और मॉडल रूल्स 2016 के मानकों को सुनिश्चित करना ◆ जिला बाल संरक्षण इकाई, विभिन्न विभागों, हितधारकों, सामाजिक संस्थाओं आदि के साथ अभिसरण करना ताकि बच्चों के समग्र विकास के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजक गतिविधियां आदि सेवाएं दी जा सके। ◆ संस्थाओं में न रहने वाले देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की फॉलो–अप योजना ◆ दत्तक–ग्रहण को छोड़कर गैर संस्थागत देखरेख– स्पॉन्सरशिप और बाद की देखरेख (after care)	प्रस्तुतीकरण के साथ सहभागी सत्र, सुगमकर्ता के अनुभव से केस स्टडी तथा चर्चा
5:30 से 6:00	समूह कार्य– व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना	◆ पिछले 2 सत्रों में प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत देखरेख योजना बनाने के लिए प्रतिभागियों द्वारा व्यावहारिक अभ्यास किया जाएगा।	प्रतिभागियों का समूह बनाकर प्रत्येक समूह को बच्चे की एक–एक केस स्टडी दी जाएगी और बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना बनाने के लिए कहा जाएगा।
		दिन-3	
10:30 से 12:00	बच्चों के मनोविज्ञान को समझना	◆ बाल मनोविज्ञान और कारक जो उसे प्रभावित करते हैं– उम्र, सामाजिक स्थिति आदि ◆ भयभीत तथा सदमें वाले बच्चे से बातचीत करना ◆ बच्चों भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग देना	सहभागी सत्र– प्रस्तुतीकरण का प्रयोग तथा सुगमकर्ता के अनुभवों से केस स्टडी पर चर्चा
12:00 से 12:15		**चाय के लिए अवकाश**	

समय	सत्र का विषय	विषय-वस्तु	प्रशिक्षण पद्धति
12:15 से 1:30	पिछले दिन के समूह कार्य– 'व्यक्तिगत देखरेख योजना बनाना' पर चर्चा	◆ बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना प्रस्तुत की जाएगी और उसके औचित्य पर सुगमकर्ता से चर्चा की जाएगी	प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण और सुगमकर्ता द्वारा फीडबैक
1:30 से 2:30		**भोजन के लिए अवकाश**	
2:30 से 3:45	विभिन्न बाल संरक्षण कानूनों तथा संबंधित कोर्ट के आदेशों के तहत बच्चों की देखरेख और संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की भूमिका	◆ चाइल्ड लाइन ◆ चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम ◆ जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण ◆ पुलिस– एस.जे.पी.यू. ए.एच.टी.यू. ◆ मीडिया ◆ बाल संरक्षण समिति ◆ गैर–सरकारी संस्थाएं	प्रस्तुतीकरण का इस्तेमाल करते हुए सहभागी सत्र तथा सुगमकर्ता के अनुभव से केस स्टडी
3:45 से 4:00		**चाय के लिए अवकाश**	
4:00 से 5:00	फीडबैक साझा करना, प्रभावों तथा शंकाओं का समाधान		
5:00 से 5:30	समापन सत्र	समापन के दो शब्द धन्यवाद ज्ञापन	